IJAER/May-June-2014/Volume-3/Issue-3 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

# भारत में संसदीय शासन प्रणाली विशेषताएं : गुण एवं दोष

**Dr. Kalpana Bharadwaj**

**Lecturer in Political Science.**

**Govt PG College Sawai Madhopur Rajasthan .**

**सार**

हमारा संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। हमने कई लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को उधार लिया है। लेकिन हमारा संसदीय मॉडल मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। हमारी प्रणाली में सरकार का प्रमुख, प्रधान मंत्री, केवल तभी तक पद धारण कर सकता है जब तक वह लोकसभा के विश्वास पर कायम रहता है। सदन का विश्वास बहुमत के समर्थन के अस्तित्व/निरंतरता में परिलक्षित होता है - चाहे वह किसी एक पार्टी का हो या पार्टियों के गठबंधन का। यह सुविधा शासन में अस्थिरता पैदा कर सकती है और करती भी है। राष्ट्रपति के लोकतंत्र में, सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है और महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित उच्च अपराधों और दुष्कर्म की परिस्थितियों को छोड़कर कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए, राष्ट्रपति लोकतंत्र स्थिर शासन प्रदान करते हैं। हमारी संसदीय प्रणाली में, हमने मध्यावधि चुनाव या राजनीतिक पुनर्गठन के माध्यम से सरकारें बदली हैं। सरकार में परिवर्तन निस्संदेह नीतियों, विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। एक प्रश्न जिस पर अक्सर सार्वजनिक रूप से बहस होती रही है वह यह है कि क्या हमें सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप को नहीं चुनना चाहिए। संसदीय स्वरूप संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, कानूनी समस्याएं किसी अन्य रूप में स्विच करने पर उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि संसदीय स्वरूप में कोई गुण न हो।

**परिचय**

प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण नोटिस, वाद-विवाद, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव, बजट की छानबीन और इसके कार्यान्वयन, जनता जैसे निरीक्षण तंत्र और उपकरणों के माध्यम से संसद प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को लगातार निगरानी में रखने की स्थिति में है। लेखा परीक्षा आदि

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संसद के लिए किसी सरकार को कार्यालय से बाहर करने के लिए जनादेश की कमी के कारण सरकार के प्रमुख की ओर से तानाशाही प्रवृत्ति का परिणाम हो सकता है।

हम शायद अविश्वास के रचनात्मक वोटों के लिए संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के जर्मन मॉडल को अपनाने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकते हैं। इस मॉडल के तहत, संसद सदस्यों के बहुमत के वोट से उत्तराधिकारी का चुनाव करके और उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करके ही सरकार के प्रमुख में विश्वास की कमी व्यक्त कर सकती है।

**सरकार का मुखिया लोक सभा से होगा**

संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अक्सर हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से होते हैं। उसका लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व होने के कारण यह वांछनीय है कि प्रधान मंत्री लोक सभा से चुना जाए।

मल्टी पार्टी सिस्टम

लंबे समय से, गठबंधन व्यवस्था के माध्यम से शासन बहुदलीय व्यवस्था में कमोबेश आम बात हो गई है जिसका हम पालन करते हैं। वर्तमान (15वीं) लोक सभा में चालीस राजनीतिक दलों की उपस्थिति है। अब तक, मौजूदा यूपीए II गठबंधन में 11 पार्टियां हैं और 9 पार्टियों द्वारा बाहर से समर्थित है। इस तरह गठबंधन बनाकर सरकार चलाना विकलांगों की दौड़ लगाने जैसा है। प्रभावी नीति/सुधार के उपाय करने में सरकार पिछड़ जाती है। गठबंधन भागीदारों के अपने क्षेत्रीय, स्थानीय और वैचारिक एजेंडे होते हैं जिन्हें वे अक्सर समग्र गठबंधन कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। जबकि सरकार "गठबंधन की मजबूरियों" का हवाला देकर अपनी लाचारी को हवा देने की कोशिश करती है, घटक सहयोगी सरकार द्वारा उन तक नहीं पहुंचने में "गठबंधन धर्म" के उल्लंघन की शिकायत करते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधनों की ओर से प्रभावी और सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिसे दिवंगत प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने "विरोधाभासों का प्रबंधन" कहा था। यह तभी संभव है जब सत्तारूढ़ गठबंधनों द्वारा समन्वय तंत्र को पूर्ण और क्रियाशील बनाया जाए।

**संघवाद**

हमारी राजनीति राज्यों का संघ है। हमारा प्रशासन विकेंद्रीकृत है। शक्तियों का बंटवारा संवैधानिक रूप से प्रदान और अनिवार्य है। मूल राज्यों के पुनर्गठन के बाद से स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप कई नए राज्य बनाए गए हैं। मेरे अनुभव में, अन्य देशों के सांसदों और संवैधानिक अधिकारियों ने हमारे संतुलित केंद्र राज्य संबंध के बारे में आश्चर्य किया है। हमारे राजनीतिक नेताओं का यह दायित्व है कि वे इस संतुलन को बाधित न करें। देर से, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ, संघवाद के आधार पर क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न तेजी से उठाए जा रहे हैं। लोकपाल विधेयक के संदर्भ में क्षेत्राधिकार संबंधी बहस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) के निर्माण के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं और पार्टियों को गैर-पक्षपाती तरीके से अपनी संबंधित चिंताओं को ध्यानपूर्वक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव होगा जब आम सहमति बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारें एक-दूसरे के पास पहुंचें।

**चुनाव में पैसा और बाहुबल**

धन बल हमारे चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेशक, चुनाव आयोग पैसे के लिए वोट जुटाने के प्रयासों के खिलाफ अपने व्यय निगरानी तंत्र के माध्यम से निगरानी रखने की कोशिश करता है। इसे किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। कम से कम सार्वजनिक धारणा यह है कि उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च आधिकारिक तौर पर निर्धारित व्यय सीमा के कई गुणक हैं। यहां तक कि जहां अधिकतम सीमा की समीक्षा और संशोधन किया जाना है, उन्हें अधिक यथार्थवादी और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना है, उनके उल्लंघन के संबंध में वैधानिक नियमों को कठोर और निवारक बनाया जाना चाहिए।

नौकरशाही, राजनीतिक खिलाड़ियों और अपराधियों के बीच सांठगांठ के कारण राजनीति का अपराधीकरण कई वर्षों से सार्वजनिक बहस का विषय रहा है। लेकिन समस्या बनी रहती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार विधायी निकायों में प्रवेश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टियां, राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कटौती करते हुए, उम्मीदवारों को उनकी तथाकथित "जीतने की क्षमता" के आधार पर सीटें देती हैं। स्वच्छ उम्मीदवारी नीति के संबंध में मानक स्थापित करना राजनीतिक दलों का काम है। बेशक, चुनावी प्रतियोगी अब नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके द्वारा दाखिल हलफनामे में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, के साथ-साथ अपनी संपत्ति के बारे में भी घोषणा कर रहे हैं। फिलहाल उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के आधार पर ऐसा किया जा रहा है। अनिवार्य घोषणाओं के संबंध में स्पष्ट वैधानिक प्रावधान होना वांछनीय है। इस तरह के प्रावधानों में पूरी जानकारी का खुलासा न करने के खिलाफ उचित प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए।

**इनर पार्टी डेमोक्रेसी**

चुनावी प्रतियोगिताओं के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की पसंद आवश्यक रूप से पारदर्शी आंतरिक पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित नहीं होती है। अक्सर, यह पार्टी हाईकमान होता है जो उम्मीदवारों के चयन में अंतिम निर्णय लेता है। राजनीतिक दलों को "हाईकमान संस्कृति" पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

**प्रतिनिधित्व**

हम अपने देश में जिस चुनाव प्रणाली का पालन करते हैं, वह "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम" है। यानी विभिन्न चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से, जो भी वैध रूप से डाले गए वोटों की सबसे अधिक संख्या प्राप्त करता है, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विधायी निकायों में सीटों के लिए योग्य होने वाले वैध मतों का बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जरूरी नहीं हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि विधायी निकायों में राजनीतिक दलों को चुनावी प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा डाले गए लोकप्रिय वोटों से अधिक सीटें मिलती हैं।

"फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम" का गुण यह है कि एक अरब लोगों के हमारे देश में, हम प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रणाली में निहित जटिल प्रक्रियाओं के बिना चुनाव करा सकते हैं। बाद की प्रणाली विधायी निकायों में पार्टियों की बहुलता का भी परिणाम देती है।

**सदनों में आदेश के नियम**

सदनों के कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियमों में व्यापार लेनदेन में सुव्यवस्था से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान अधिक बार केवल उनके उल्लंघन में देखे जाते हैं।

सदस्य अपनी शोर भरी मांगों में एक दूसरे को डुबो देते हैं, एजेंडे के बाहर के मुद्दों को पेश करते हैं;

प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग; क्रॉस टॉकिंग करें; अध्यक्ष के निर्देशों का पालन न करना; वाद-विवाद में बार-बार बहस करना, वाद-विवाद के विषयों पर गृह कार्य न करना; अक्सर सदनों को घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन स्थगित करने के लिए बाध्य करते हैं; मंत्रियों का बहिष्कार; गंभीर वाद-विवाद के बिना जल्दबाजी में बजट पास करना, अनुदानों की महत्वपूर्ण मांगों पर गिलोटिन लगाना।

इस प्रक्रिया में सरकार को जवाबदेह ठहराने में संसद का प्रदर्शन प्रभावित होता है। लोग अराजक संसदीय कार्यवाही से गंभीर रूप से चिंतित हैं। बेशक, पीठासीन अधिकारी सदस्यों को अनुशासित कर सकते हैं। लेकिन वे शायद ही कभी व्यापार के माध्यम से धैर्यपूर्वक प्राप्त करने के हित में अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अंतत: यह संसदीय दलों की जिम्मेदारी है कि वे अपने सदस्यों का व्यवस्थित आचरण सुनिश्चित करें। या तो इन पार्टियों का रिट इसके सदस्यों के बीच नहीं चलता है या वे निष्क्रिय रूप से सदस्यों को पक्षपातपूर्ण विचारों पर अराजकता पैदा करने की अनुमति देते हैं। इस मामले में पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

**रचनात्मक विपक्ष**

विपक्ष को अनिवार्य रूप से सरकार को दबाव में रखने के लिए सतर्कता से भूमिका निभानी होगी। लेकिन इसकी बहुत रचनात्मक भूमिका है। दरअसल, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में, विपक्ष में वरिष्ठ नेता "छाया कैबिनेट" बनाते हैं - सरकार के प्रत्येक सदस्य को "छाया" करने के लिए। यह सरकार द्वारा शुरू किए गए कानूनों और नीतियों को जांच के दायरे में रखता है और वैकल्पिक नीतियों की पेशकश करता है। जब विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो अक्सर शैडो कैबिनेट के सदस्य खुद मंत्री बन जाते हैं। विपक्ष की एकता और अखंडता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सत्ताधारी व्यवस्था की एकता और अखंडता। सत्तारूढ़ व्यवस्था और विपक्ष के बीच चक्रीय पक्षपातपूर्ण शत्रुता के एक मज़ेदार मैदान में सेवाओं के वितरण के मामले में देश के लोगों को नहीं खोना चाहिए

**कानून बनाना**

कानून बनाना विधायी निकायों का प्राथमिक कार्य है। सभी संसदों में कानून बनाने की स्थापित प्रक्रियाएँ हैं। मोटे तौर पर, ये प्रक्रियाएं दीक्षा, परिचय, सामान्य चर्चा, समिति की जांच, सार्वजनिक परामर्श, संशोधन, पूर्ण सत्र में चर्चा और राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण के लिए अग्रणी मतदान से संबंधित हैं। हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मानकों के तुलनीय कानून के लिए समय से सम्मानित नियम भी हैं। हाल ही में, नागरिक समाज संगठनों ने कानून निर्माण में जिस तरीके से उनसे परामर्श किया जाना चाहिए, उसके संबंध में कठोर होने की प्रवृत्ति दिखाई है। बेशक, ये संगठन लोगों की आकांक्षाओं के बारे में अपनी जमीनी धारणा के आधार पर अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह वांछनीय है कि सिविल सोसाइटी संगठनों सहित कोई भी सार्वजनिक परामर्श संसदीय प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है। प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्रों में, संप्रभु लोगों की ओर से कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है। हम कानून निर्माण को नागरिक समाज को प्रत्यायोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते जिसके परिणामस्वरूप यह सामूहिक सौदेबाजी की प्रकृति का हो जाता है। सीधा सा कारण यह है कि बहुत सारे नागरिक समाज संगठन हैं और हमें जटिल प्रक्रियाओं से खुद को नहीं बांधना चाहिए। न ही उनका प्रतिनिधि चरित्र है। इसके अलावा, ऐसे संगठनों की अपनी सनक और पक्षपातपूर्ण रुझान भी हो सकते हैं। स्पर्श करने वाले कानून, जैसा कि वे करते हैं, लाखों लोगों को सनकी और पक्षपातपूर्ण झुकाव के बिना तैयार किया जाना चाहिए। सरकार, अपनी ओर से, पूर्व-विधायी जांच को पूरा करने में ब्रिटेन जैसे अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन कर सकती है और उनसे सीख सकती है।

**संस्थानों की अखंडता**

मंत्री और नागरिक अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन संस्थान रहने के लिए हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी क्षमता के संबंधित क्षेत्रों में शासन में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करें। वास्तव में वे सुचारु शासन की स्मृति और निरंतरता का गठन करते हैं। इन संस्थानों की अखंडता को बनाए रखने और मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे संस्थानों का एक उदाहरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) है। वास्तव में सभी लोकतांत्रिक देशों में, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था की संवैधानिक स्थिति, स्वायत्त और राजनीतिक रूप से तटस्थ है। हमारे CAG को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, वह शपथ लेता है, अन्य बातों के साथ-साथ, "बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के और संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए" अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेगा। उसके कर्तव्य और शक्तियां संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि CAG का कार्यालय, एक प्रहरी संस्था होने के नाते जिसका उद्देश्य सरकार की वित्तीय निगरानी में संसद को वस्तुनिष्ठ पेशेवर सहायता प्रदान करना है, को विवादों में नहीं घसीटा जाता है।

**सूचना का अधिकार (आरटीआई)**

संसद द्वारा स्थापित आरटीआई कानून हमारी शासन प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि कानून सूक्ष्मता से और गहराई से मौलिक अधिकारों को प्रतिपादित करता है, इसके आगे उदारीकरण की मांग करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जाने के लिए बाध्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून के दायरे से पूरी तरह से बाहर किए गए संगठनों के अलावा, जानकारी के कई मद हैं, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है। कानून की मंशा को नकारने के लिए छूट वाली वस्तुओं की आधिकारिक रूप से व्याख्या की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन को सूचना तक पहुंच के आंदोलन के अंत के रूप में नहीं बल्कि शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए।

**सार्वजनिक पहुँच**

एक संस्था के रूप में संसद की लोगों तक और सदस्यों की उनके घटकों तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। यह संसद को लोगों को सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी रूप से लगे हुए निकाय के रूप में देखे जाने की सुविधा प्रदान करता है। यह सदस्यों को अपने संप्रभु मतदाताओं के प्रति खुद को जवाबदेह रखने में मदद करता है। दुनिया की अधिकांश संसदों ने सदस्यों, सदनों के दैनिक कामकाज, सदनों और उनकी समितियों की रिपोर्ट और कार्यवाही, विधायी पहल आदि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सेवा में लगाया है। हमारी संसद ने भी इस संबंध में बहुत प्रगति। यह वांछनीय है कि हमारे सदस्य आईसीटी अनुप्रयोगों में यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे अन्य संसदों के अनुभवों को साझा करें।

हमारी संसद सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता और सुविधाएं, कर्मचारी सहायता व्यय, पत्राचार और दूरसंचार आदि के लिए धन मुहैया कराती है - ताकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिल सके। लेकिन कई क्षेत्रों में मतदाताओं को शिकायत है कि उनके प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त दृश्यता नहीं रखते हैं। शायद यही कारण है कि कई मौजूदा सांसद दोबारा निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। हर संसद में पर्याप्त संख्या में नए सदस्य होते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं निगरानी और समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

**संसदीय नैतिकताः सत्यनिष्ठा और मानक**

प्रतिनिधि लोकतंत्रों में, लोगों द्वारा चुने गए विधायी निकायों के सदस्य अपने घटकों के भरोसे अपना पद धारण करते हैं। लोग उनसे मेंटेनेंस की उम्मीद करते हैं

सार्वजनिक जीवन में उच्च मानक। संवैधानिक रूप से, विधायकों के पास कार्यपालिका की देखरेख का कार्य और जिम्मेदारी भी होती है। यह इस कार्य की केंद्रीयता है कि कार्यपालिका में सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की ओर से कुशासन नियंत्रण में है। तब यह स्वाभाविक ही है कि जो विधायक वॉच डॉग का कार्य करते हैं, उनसे स्वयं भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होने की अपेक्षा की जाती है।

लोगों को सेवा वितरण के पारदर्शी और विश्वसनीय संस्थानों के रूप में देखे जाने और पहचाने जाने के लिए, कई संसदों ने अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के नैतिक मानक निर्धारित किए हैं और उन्हें स्व-विनियमन के माध्यम से लागू किया है। उन्होंने नियमों को लागू करने के लिए संहिताओं और आंतरिक तंत्रों को लागू करने के लिए अपनी स्वयं की आचार संहिता, अभ्यास के नैतिक नियम स्थापित किए हैं।

मोटे तौर पर, नैतिक नियम सांसदों द्वारा पालन के लिए निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

1. वित्तीय खुलासे;

2. हितों की घोषणा;

3. वकालत का निषेध;

बाहरी रोजगार का निषेध; कार्यकाल के बाद के रोजगार प्रतिबंध।

हमारे पास संसद के दोनों सदनों में नैतिकता तंत्र हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रथाओं को लाने की काफी गुंजाइश है, विशेष रूप से उपरोक्त सभी मापदंडों के संदर्भ में।

**भ्रष्टाचार का मुकाबला**

हम दशकों से भ्रष्टाचार के साथ जी रहे हैं। हम प्रणालीगत भ्रष्टाचार और उच्च पदों पर दोनों का खामियाजा भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और लाइसेंस राज के उन्मूलन के साथ, हमने सरकारी निर्णय निर्माताओं को उनकी विवेकाधीन शक्तियों से काफी हद तक वंचित कर दिया है। इससे प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है। लेकिन हाल ही में हिमालय के अनुपात में कथित भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों के निपटान में उच्च स्थानों पर अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग करने के कारण हुआ है। न्यायपालिका ने तब से यह भी फैसला सुनाया है कि नीलामी के अलावा प्राकृतिक संसाधनों का निपटान अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ व्यवस्था के बावजूद, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को संबोधित करना हमेशा समस्यात्मक रहा है। इसी संदर्भ में लोकपाल कानून का अधिनियमन महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कानून का केंद्रीय मुद्दा जांच और अभियोजन एजेंसियों की स्वायत्तता है। कथित तौर पर, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है - सार्वजनिक खरीद कानून, लोक शिकायत कानून (अत्याधुनिक स्तरों पर सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए) आदि। कानून खुद ही भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। हम अत्यधिक विधायी देश हैं। लेकिन अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन में हमारे प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड

काफी खराब रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम चाहे जो भी उपाय करें, हमें भ्रष्टाचार को उसकी मांग के साथ-साथ आपूर्ति पक्षों पर भी संबोधित करना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि अनियमित बाजार भी भ्रष्टाचार का कोई समाधान नहीं है।

**संदर्भ**


1. 1. संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में लिखा है, "मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन के प्रति उत्तरदायी होगी"। अनुच्छेद 75 (3) के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है।
2. 2. सूद, गीतिका। "भारत में संसदीय लोकतंत्र: कानूनी मुद्दे और चुनौतियां।" कानून और राजनीति। Vol.15, नंबर 1, 2012: 97।
3. 3. अवस्थी, ए.पी. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 2011. 78.
4. 4. मेजर, जेम्स। "भारत में राजनीतिक उत्थान।" डी.एल. शेठ और आशीष नंदी, एड. मल्टीवर्स ऑफ डेमोक्रेसी: एसेज इन ऑनर ऑफ रजनी कोठारी। नई दिल्ली: ऋषि प्रकाशन, 1996 76।
5. 5. साठे, वसंत। "भारतीय राजनीतिक प्रणाली का पुनर्गठन: एक एजेंडा।" डी। सुंदर राम में, एड। भारतीय लोकतंत्र: संभावनाएं और पुनरावलोकन। नई दिल्ली: कनिष्क डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पब्लिशर्स, 1996. 146-147।
6.